झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–55 वर्ष 2017

मोहम्मद हासिम खान उर्फ हासिम खान, पुत्र अब्दुल हलीम खान, निवासी 87, शमशेर नगर, पंडरपाला, डाकघर–बी0 पॉलिटेक्निक, थाना–बुइली, जिला–धनबाद

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।

.... विपक्षी पार्टी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए :– मोहम्मद जैद अहमद, अधिवक्ता।

विरोधी पार्टी के लिए:– श्री सूरज मोहन, ए0पी0पी0।

3/02.02.2017 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील मोहम्मद जैद अहमद और राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए0पी0पी0, श्री सूरज मोहन को सुना।

इस आवेदन में याचिकाकर्ता नवे विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा शिकायत मामला संख्या 1629/2016 के अनुरूप पी0सी0ए0 मामला ासंख्या 11/2016 दिनांक 19.12.2016 को पारित आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा याची द्वारा अपने वाहन की रिहाई के लिए किया गया आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या जेएच 10 एएच/6566 दर्ज है।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राथमिकी पंजीकरण संख्या जेएच 10 एएच/6566 वाले वाहन में गोजातीय पशुओं के कथित परिवहन के संबंध में शुरू की गई थी। गोवंशीय पशुओं के साथ–साथ वाहन को भी जब्त कर लिया गया, इसलिए खुद को उक्त वाहन का मालिक होने का दावा करते हुए याचिकाकर्ता वाहन को छोड़ने के लिए आवेदन दाखिल किया। निचली अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इस आवेदन को खारिज इस आधार पर कर दिया कि वाहन राज्य सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है। झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की धारा 12 के मद्देनजर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त तथ्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मवेशी या बोवाइन पशुओं को परिवहन करते हुए पाए जाते हैं, तो उसे 10 साल की सजा भुगतनी होगी और यदि साथ में अधिनियम में उपबंधित नियमों के विरूद्ध वाहन के द्वारा गो पशुओं या उनके माँस का वहन करते हुए पाया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा इसे जब्त किया जाएगा। विद्वान मजिस्ट्रेट का दिनांक 19.12.2016 के अपने आदेश में यह मत कि वाहन राज्य सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है, अपरिपक्व है क्योंकि विचारण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। विद्वान मजिस्ट्रेट वाहन के स्वामित्व के संबध में सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट मंगानी चाहिए और उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट के अनुसरण में आवश्यक स्थिति कते अनुसार वाहन को छोड़ने या छोड़ने से इनकार करने का आदेश पारित करना चाहिए। विद्वान मजिस्ट्रेट ने कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया है और तदनुसार शिकायत मामला संख्या 1629/2016 से संबंधित पी0सी0ए0 केस संख्या 11/2016 के विद्वान न्यायिक

मजिस्ट्रेट, धनबाद द्वारा दिनांक 19.12.2016 को पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है और वाहन के स्वामित्व के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से एक रिपोर्ट मंगाने के बाद और निरीक्षक, एसपीसीए की इस रिपोर्ट से कि वाहन राज्य सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है, से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करने के लिए मामले को वापस विद्वान मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है।

इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर यह कार्य पूरा किया जाना चाहिए।

इस आवेदन का निपटारा किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता की कीमत पर फैक्स के माध्यम से भेजी जाए।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)